सं. 36027/1/2017-स्था-(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 23 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जाली/झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के विषय में सूचना का संकलन और इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 01.06.2017 और 03.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों से ऐसे मामलों के विषय में जानकारी एकत्रित करने और समेकित रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था जहां उम्मीदवारों ने झूठे/जाली प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर कथित रूप से नियुक्तियां पा ली थी।

3. जून, 2017 के दौरान और आज की तारीख तक कुछ मंत्रालयों/विभागों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जबकि बहुत से अन्य मंत्रालयों से अभी जानकारी प्राप्त होनी शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रालयों/विभागों ने बहुविध या आंशिक जानकारी भेजी थी। इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों ने प्रत्यक्षतः अपने प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय से निदेश प्राप्त होने पर सीधे इस विभाग को जानकारी भेजी है।

4. अब यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 31.12.2017 तक की स्थिति के अनुसार अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों से ऑकड़ों सहित नवीनतम/अद्यतन समेकित जानकारी प्राप्त की जाए और शीघ्रातिशीघ्र तथा किसी भी स्थिति में 31 मार्च, 2018 से पूर्व इस विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न संशोधित प्रपत्र में भेजी जाए।

संलग्नक : यथोपरि।

राजू सारस्वत
(राजू सारस्वत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23092110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली
4. भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रीमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
9. सतर्कता अनुभाग, डीओपीऐंडटी - डीओपीटी और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ।
10. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
11. एनआईसी (डीओपीटी) इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

दिनांक 23.2.2018 के पत्र सं. 36027/1/2017-स्था.(आर.) का प्रोफार्मा

मंत्रालय/विभाग का नाम ....

झूठे/जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

क्र. सं.	ऐसे कार्मचारियों की कुल संख्या जिनके विरुद्ध झ्ठ/जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति के आरोप की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दिया जाए)	स्तम्भ (कालम) 2 की संख्या में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और वे पहले ही सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दें)	स्तम्भ (कालम) 2 की संख्या में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनको सत्यापन के लिए राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को संदर्भित किया गया है। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दें)	स्तम्भ (कालम) 2 की संख्या में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दें)	स्तम्भ (कालम) 2 की संख्या में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जहां इन निर्णयों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दें)	स्तम्भ (कालम) 2 की संख्या में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जहां अभी जांच चल रही है। (अजा/अज जा/अपिव श्रेणीवार ब्यौरा दें)	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8